न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :- **मृदुला शेखावत**, आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :- 51/2025
प्रार्थी :-

1. लुम्बाराम पुत्र भूराराम जाति मेघवाल निवासी पाचुण्डा कलां तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान

बनाम

अप्रार्थीगण :-

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

उपस्थिति :- प्रार्थी - श्री बी आर विश्नोई, एडवोकेट
अप्रार्थी संख्या 1-सरकारी पैरोकार

आदेश **दिनांकः-** 21/04/25

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि सरहद मौजा गांव बरना पटवार हल्का बरना भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बरना तहसील बिलाड़ा में निम्नानुसार प्रार्थी की खातेदारी, कब्जासुदा, कृषि भुमि आयी हुई स्थित है। जिसके वर्तमान खाता नंबर 1069 खसरा नंबर 1594/669 रकबा 0.3239 हैक्टर है। उपरोक्त वर्णित कृषि भुमि को प्रार्थना पत्र में आगे के पदो में वादग्रस्त कृषि भुमि के नाम से सम्बोधित किया जावेगा। वादग्रस्त कृषि भुमि प्रार्थी की खरीदसुदा कृषि भुमि है, जिसको प्रार्थी के जरिये रजिस्टर्ड बेचान के कब्जा प्राप्त किया है तथा कब्जा अनुसार वादग्रस्त कृषि भुमि को प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शे परिशिष्ट क में दर्शाया गया हैं। जो नजरी नक्शा प्रार्थना पत्र का आवश्यक भाग एवं अंग हैं। वादग्रस्त कृषि भुमि के उतर में खसरा नंबर 669/26 दक्षिण में खसरा नंबर 1575/669, पश्चिम में खसरा नंबर 665 तथा पूर्व में खसरा नंबर 1593/669 स्थित है, लेकिन ऑनलाईन नक्शे की तरमीम करते समय राजस्व कर्मचारीयों द्वारा त्रुटिवश गलत दर्ज कर दिया है जिस अनुरूप वादग्रस्त कृषि भुमि के पूर्व दिशा में खसरा नंबर 729 की तरमीम कर दी गई साथ ही उक्त खसरे की तरमीम नक्शे में लम्बाई ज्यादा बता दी गयी। ऐसी परिस्थितियों में नक्शे में हुई उक्त त्रुटि को दुरस्त करवाने का प्रार्थी अधिकारी है एवं नक्शे में परिशिष्ट क अनुसार वादग्रस्त कृषि भुमि का नक्शा तरमीम दुरूस्त करवाना चाहता है। तदर्थ प्रार्थी यह प्रार्थना पत्र बाबत रेकर्ड एवं तरमीम दुरस्ती का श्रीमान के न्यायालय में प्रस्तुत करता हैं।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर श्रीमान से निवेदन हैं कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे एवं प्रार्थना पत्र के संलग्न प्रस्तुत परिशिष्ट क अनुसार वादग्रस्त कृषि भुमि के राजस्व नक्शे को दुरस्ती के आदेश प्रदान करावे।

सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी बिलाड़ा

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये समन से तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 द्वारा जवाब पेश किया गया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम बरना के खसरा नंबर 1594/669 की तरमीम बैचान दस्तावेज 20230305610 2954 के अनुसार की गई थी। उक्त बैचान दस्तावेज में खसरा सं. 1594/669 की दिशाएं निम्नानुसार है। उतर तरफ खसरा सं. 669/26 की भूमि है। दक्षिण तरफ मेरी

इस खसरे की बची हुई भूमि है। पूरब तरफ मेरी इस खसरे की बची हुई भूमि है। पंश्चिम तरफ भूमि का निकाल व आगे मेगा हाइवे आया हुआ है दर्शाई गई भू नक्शा पर दर्ज तरमीम बैचान दस्तावेज नहीं है। दिनांक 6.2.2025 को मुझ हल्का पटवारी द्वारा खसरा सं. 1594/669 के मौके पर पहुचकर मौका फर्द व नजरी नक्शा बताया जो संलग्न कर पेश है। बैचान दस्तावेज अनुसार व मौका अनुसार तरमीम शुद्धि किया जाना उचित है।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात तथा अप्रार्थी सं. 1 द्वारा प्रस्तुत किया गया जवाब एवं मौका निरीक्षण रिपोर्ट पर मनन एवं अध्ययन किया गया। जिससे विदित होता है कि ग्राम बरना तहसील बिलाडा में स्थित खसरा नंबर 1594/669 रकबा 0.3239 हैक्टयर में प्रार्थी रेकर्डेड खातेदार है। प्रार्थी को खसरा नंबर 1594/669 जरिये रजिस्टर्ड बैचान के प्राप्त हुआ, रजिस्टर्ड बैचाननामा में वादग्रस्त खसरान के पडौस अंकित किये हुए। ऑनलाईन नक्शे में तरमीम करते समय राजस्व कर्मचारियों द्वारा त्रुटिवश गलत दर्ज कर दिया है। अप्रार्थी सं. 1 द्वारा भी जवाब पेश कर प्रार्थी के अनुसार तरमीम किये जाने हेतु सहमति प्रदान की है। ऑनलाईन नक्शे में उक्त खसरान की गलत तरमीम को दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

–: आदेश –:

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया जाता है कि वो ग्राम बरना तहसील बिलाडा के खसरा सं. 1594/669 रकबा 0.3236 हैक्टयर की तरमीम तहसीलदार बिलाडा द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के साथ संलग्न रजिस्टर्ड बैचाननामा दिनांक 04.09.2023 में दर्शाये गये पडौस के अनुसार दुरूस्त कर शीघ्र से शीघ्र न्यायालय के समक्ष पेश करे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 21/04/26 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा